

मुकदमा नंबर 530/2016

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

तहसीलदार, पंचपदरा

1. ग्राम पंचायत, मुंगडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59,60,66,86  
भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक 01.03.2017

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पंचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136  
भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970 इस आर्य का  
प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत् 2073 दौराने गस्त गिरदावरी ग्राम  
तिलवाडा मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकड  
यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिस पर  
विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे।



राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.3  
2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ गेवल  
सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही  
है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को  
आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत  
मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है। उक्त आवागमन के रास्ते को  
रास्ते के रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता /डामर सडक  
के खसरा नंबर 876/280/1 मे चल रहा है।

अतः मौजा तिलवाडा के तिलवाडा से थान मल्लीनाथ तक के खसरा नंबर 876/280/1  
रकबा 1.09 बीगा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित  
खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने  
के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर  
तलब किया, किन्तु बावजूद इत्ला कोई उच्च एतराज पेश नही किया।

भूमी धारक तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का  
कोई आधार पत्रावली पर नही है।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दरतावेजात का अवलोकन व  
अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना  
न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस मे  
तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी मे भी किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया  
जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पंचपदरा स्वीकार कर मौजा तिलवाडा मे अवस्थित  
खसरा नंबर 876/280/1 रकबा 1.09 बीगा बीगा परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित मार्क अनुसार  
तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज  
रहेगा। परिशिष्ट 'ब' नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक 01.03.2017 को सुनाया गया।